Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

दिनांक: 14/07/2020

स्नातक (प्रतिष्ठा), द्वितीय खण्ड

राजनीति विज्ञान

तृतीय पत्र(भारतीय शासन एवं राजनीति)

अध्याय-3(भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ और संविधान संशोधन प्रक्रिया)

व्याख्यान संख्या-12

भारतीय संविधान संशोधन से सम्बंधित प्रमुख बातें--

(1) संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है।

(2) संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना जरूरी है।

(3) राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने को बाध्य है।(24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971)

(4) संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(5) 1973 के 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' के मामले में उच्चतम

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान के आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए अर्थात् संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है। इस वाद में मूल ढाँचे को स्पष्ट नहीं किया गया और कहा गया कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इस पर निर्णय किया जाता रहेगा।

अभी तक उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित तत्वों को आधारभूत ढाँचे में शामिल किया है--

(क) संविधान की सर्वोच्चता;
(ख) विधि का शासन;
(ग) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत;
(घ) संविधान का संघात्मक ढाँचा;
(ड़) स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली;
(च) राजव्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढाँचा ;
(छ) संसदीय प्रणाली की सरकार;
(ज) देश की सम्प्रभुता;
(झ) न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार;
(ञ) संसद की संविधान में संशोधन करने की 'सीमित' शक्ति;
(ट) मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन;
(ठ) मूल अधिकारों का सार ;
(ड) सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज्य का लोक-

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

कल्याणकारी स्वरूप;
एवं(ढ) पंथनिरपेक्षता।

(6)आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत भूतलक्षी प्रभाव से नहीं, भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।
(7) केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ बैठी थी इसलिए इसके निर्णय को तभी पलटा जा सकता है जब 13 या 13 से अधिक न्यायाधीशों वाला न्यायपीठ बैठे और फैसला दें।

(8) प्रथम संविधान संशोधन,1951 द्वारा 'अनुच्छेद 31क' के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा 'न्यायिक समीक्षा' नहीं की जा सकती।परंतु वामन राव बनाम भारत संघ(1981) मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973(केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि) से पहले किए गए संशोधन तो विधिमान्य होंगे, लेकिन इस तिथि के बाद का कोई भी अधिनियम जिसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
(9) अभी तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं।